



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235857
CG-DL-E-19052022-235857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2165]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944

No. 2165]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

का.आ. 2284(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में NH12 (नया - 45) भोपाल से जबलपुर मार्ग के कि.मी. 299/710 से कि.मी. 301.200 तक के भू-खण्ड (भोपाल से गोहारगंज) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी महाराणा प्रताप नगर वृत्त भोपाल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में NH12 (नया - 45) भोपाल से जबलपुर मार्ग के कि.मी. 299/710 से कि.मी. 301.200 तक के भू-खण्ड (भोपाल से गोहारगंज) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: भोपाल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हुज़ूर					
गांव का नाम: भैरोपुर					
1	228	निजी	व्यपवर्तित	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
2	228/2/1, 228/2/2	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
3	294/1	निजी	कृषि	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
4	295/1	निजी	कृषि	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
5	295/1, 295/2	निजी	व्यपवर्तित, कृषि	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
6	296/1	निजी	कृषि	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
7	298/1	निजी	व्यपवर्तित	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000
8	302/1/2, 302/2	निजी	व्यपवर्तित, कृषि	0.0220000(हेक्टेयर)	0.0220000
9	303	निजी	व्यपवर्तित	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
10	304/1/2/1, 304/1/2/2, 304/2/1	निजी	व्यपवर्तित, कृषि	0.0190000(हेक्टेयर)	0.0190000
11	305	निजी	कृषि	0.0230000(हेक्टेयर)	0.0230000

12	306/1	निजी	व्यपवर्तित	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
13	307/1, 307/2/1	निजी	कृषि	0.0340000(हेक्टेयर)	0.0340000
14	308/1	निजी	व्यपवर्तित	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
15	446/2	निजी	कृषि	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
कुल				0.2380	0.2380

[फा. सं. : NHAI/11013/0 I-S/LA/2009/Notif/MP/Bhopal/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2022

S.O. 2284(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH12 (New - 45) Bhopal to Jabalpur in the stretch of land from Km. 299/710 to Km. 301.200 Bhopal to Goharganj Section in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-divisional Magistrate Maharana Pratap Nagar, Circle Bhopal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NNH12 (New - 45) Bhopal to Jabalpur in the stretch of land from Km. 299/710 to Km. 301.200 Bhopal to Goharganj Section in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: BHOPAL		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Huzur					
Village: Bhaironpur					
1	228	Private	Diverted	0.0030000(Hectare)	0.0030000
2	228/2/1, 228/2/2	Private	agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
3	294/1	Private	agriculture	0.0130000(Hectare)	0.0130000
4	295/1	Private	agriculture	0.0130000(Hectare)	0.0130000
5	295/1, 295/2	Private	Diverted, Agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000
6	296/1	Private	agriculture	0.0050000(Hectare)	0.0050000
7	298/1	Private	Diverted	0.0060000(Hectare)	0.0060000
8	302/1/2, 302/2	Private	Diverted, Agriculture	0.0220000(Hectare)	0.0220000
9	303	Private	Diverted	0.0150000(Hectare)	0.0150000
10	304/1/2/1, 304/1/2/2, 304/2/1	Private	Diverted, Agriculture	0.0190000(Hectare)	0.0190000
11	305	Private	agriculture	0.0230000(Hectare)	0.0230000
12	306/1	Private	Diverted	0.0120000(Hectare)	0.0120000
13	307/1, 307/2/1	Private	agriculture	0.0340000(Hectare)	0.0340000
14	308/1	Private	Diverted	0.0350000(Hectare)	0.0350000
15	446/2	Private	agriculture	0.0130000(Hectare)	0.0130000
Total				0.2380	0.2380

[F. No. NHAI/11013/0 I-S/LA/2009/Notif/MP/Bhopal/3A]

RAJESH GUPTA, Director